

नगर पालिका परिषद् नौगांव, जिला-छतरपुर (म.प्र.)

क्रमांक 937 / स्टो0शा0 / न0पा0 / नौगांव / 2026-27

दिनांक 13/5/26

// प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना //

समस्त इच्छुक अधिकृत पंजीकृत ठेकेदरो/फर्म संस्था को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद् नौगांव द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु एलम/ब्लीचिंग क्रय करने हेतु ऑनलाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

टेन्डर क्र0	कार्य का नाम एवं विवरण	अनुमानित लागत राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
2026_UA D_50498 1	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु एलम/ब्लीचिंग क्रय हेतु दरें आमंत्रित करने का कार्य।	30.00 लाख	30000/-	5000/-	11 माह	निरंक

नोट:-निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संसोधन का प्रकाशन ऑनलाईन <https://mptenders.gov.in> की वेबसाईट पर ही किया जावेगा पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

निविदा की शर्त :-

1. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन निविदा प्रकाशन से दिनांकप्रातः 10.30 बजे से दिनांकसायं 5.30 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं।
2. निविदाकार को दरें GST एवं अन्य करों सहित प्रस्तुत करनी होंगी।
3. निविदा दाता को समस्त सामग्री स्वयं के व्यय पर, निकाय द्वारा बताए गए स्थान पर उपलब्ध करानी होगी।
4. जिस निविदाकार की जिस भी सामग्री की दर न्यूनतम (L1) होगी, उसे वह सामग्री उसी दर पर निकाय को प्रदान करनी होगी।
5. विभिन्न आइटमों में प्राप्त सभी L1 निविदाकारों को उनकी दरें स्वीकृत कर पृथक-पृथक अनुबंध निष्पादन सूचना जारी की जाएगी।
6. यदि संबंधित आइटम के L1 निविदाकार द्वारा अनुबंध नहीं किया जाता है, अथवा सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उस सामग्री को उसी दर पर अन्य निविदाकारों से क्रय किया जा सकता है।
7. सभी निविदाकारों को अनुबंध करते समय ₹500 के स्टाम्प के साथ, निविदा राशि की 3% परफॉर्मंस गारंटी की राशि (FDR के रूप में) जमा करनी होगी, जिसकी वैधता 11 माह होगी।
8. यदि कोई निविदाकार अनुबंध निष्पादन सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अनुबंध नहीं करता, तो उसकी जमा अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी तथा उसे भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में निकाय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् नौगांव
जिला छतरपुर (म.प्र.)